

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी  
बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

मुकाम

मनोहर लाल

बनाम

डेवी लाल

किस्म मुकद्दमा

नं.

सन्

प्रा. 45/128

139/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/5/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... ग्राम.....<del>बडीसादडी</del>.....की आ.न. <del>1627 रुका 0.02</del> <del>1628 रुका 0.55</del> <del>1629 रुका 0.54</del> की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये <u>12000/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।</p> <p>पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
बडीसादडी

